100/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 100/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

A3

11—02—2017

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से चाही गई 7 बिन्दुओ की सूचना उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

1. राजस्थान निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक एफ 6(1)(58)रोल/निर्वा/2009/932 दिनांक 03.03.2016 आपके कार्यालय में पहुचंने की तारीख रजिस्टर नम्बर व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र प्राप्ति से इस आवेदन का जवाब देने तक जिस जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा जो जो कार्यवाही की गई उसका नाम व पद की सूचना की प्रमाणित प्रति।
3. पत्र में अकिंत क्रमांक 932 एवं दिनांक 03.03.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि व सूचना।
4. उपरोक्त पत्रांक में वर्णित कथनो की सूचना व उस पर आप द्वारा कार्यवाही जो की गई है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में आप द्वारा जिस अधिनियम की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही नही की गई है उस नियम व धारा की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. इस संबध में पत्रांक में वर्णित तथ्यों के बारे में कार्यवाही न करने पर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही जिस अधिनियम के अन्तर्गत नही की उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत जो पत्र आपके पास पहुंचने पर उस पर कार्यवाही करने के लिए समय निर्धारित है, उसकी सूचना व आदेश की प्रतिलिपि

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 1679 दिनांक 19.08.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 574 दिनांक 23.05.2016 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्राथी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 574 दिनांक 23.05.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः—

सत्य
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 7 की सूचना के संबंध में लेख है कि:—
1. बिन्दु संख्या 1 के तहत रिसिप्ट रजिस्टर नम्बर व दिनांक की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि (एक पृष्ठ) हेतु निर्धारित शुल्क (दो रूपये प्रति पृष्ठ) जमा करावें ताकि आपको सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जा सके।
2. बिन्दु संख्या 3 में वर्णित पत्रांक 536 दिनांक 02.02.16 की प्रमाणित प्रतिलिपि (12 पृष्ठ) हेतु निर्धारित शुल्क (दो रूपये प्रति पृष्ठ) जमा करावें ताकि आपको सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जा सके।
3. शेष बिन्दु संख्या 2, 4 से 7 के संबध में आपको अवगत करवाया जाता है। कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप मे धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई—मेल, मत, सलाह, प्रेस—विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, सविंदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना आधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करनो एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुचं हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो।
अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध प्रकरण से संबधित अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है। यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को बिन्दु सं0 1 की सूचना के संबंध में एक पृष्ठ की सूचना के लए दो रूपये एवं बिन्दु सं0 3 के लिए 12 पृष्ठ की सूचना के लिए 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से राशि जमा करवाने के लिए निर्धारित अवधि में सूचित किया है कि वह राशि जमा करवाकर सूचना ले लेवें। अपीलार्थी को चाहिए कि वह बिन्दु सं0 1 व 3 की सूचना के लिए निर्धारित फीस जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर लेवें।

जहां तक बिन्दु सं0 2, 4 से 7 का संबध है। अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई इन बिन्दुओ की सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 23.05.2016 सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

479-80
02/3/17

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर